SALE OF GOODS ACT, 1930

शून्य विक्रय संविदाऐं —

विक्रय अधिनियम की धारा - 7, 8, 9 व 10 में वे परिस्थितियाँ प्रावधानित की गई हैं जिसके अन्तर्गत विक्रय की संविदा शून्य हो जायेगी।

1. संविदा किये जाने के पूर्व माल के नष्ट होने का प्रभाव (Effect of Goods Perishing before of Contract (Sec. 7) —

माल विक्रय अधिनियम की धारा-7 यह प्रावधानित करती है कि — "जहाँ कि संविदा विनिर्दिष्ट (Specific) माल के विक्रय के लिय है, वहाँ यदि विक्रेता के ज्ञान के बिना माल उस समय, जब सविदा की गई थी, नष्ट हो गया था या इतना नुकसान ग्रस्त हो गया था कि वह संविदा में किये गये वर्णन के अनुरूप नहीं रह गया हो, तो संविदा शून्य हो जायेगी।"

शब्द नष्ट (Perished) को परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु सामान्यता उसका अर्थ वस्तु के भौतिक रूप नष्ट होने के अतिरिक्त, वस्तु की व्यापारिक कीमत घटने से भी है।

उदाहरण के लिए - विक्रेता द्वारा अपने सफेद घोड़े के विक्रय की संविदा क्रेता से की गई। लेकिन संविदा किये जाने से पहले सफेद घोड़ा मर चुका था जबकि विक्रेता को उसका ज्ञान नहीं था। अतः संविदा शून्य हो जायेगी। इसी प्रकार सीमेन्ट के विक्रय की संविदा में संविदा के पूर्व ही विक्रेता के ज्ञान के बिना सीमेन्ट इतना खराब हो चुका था कि उसे बाजार में सीमेन्ट के नाम से बेचा नहीं जा सकता था ऐसी स्थिति में यह माना जा सकता है कि माल नष्ट हो गया है। अतः संविदा शून्य हो गई है।

Case- Amfer & Comp. Ltd. Vs Blendel, 1896.

इस वाद में खजूर के विक्रय हेतु संविदा की गई लेकिन विक्रेता के ज्ञान के बिना ही संविदा के पूर्व खजूर इस प्रकार खराब हो चुकी थी कि उसको खजूर के नाम से बाजार में नहीं बेचा जा सकता था। न्यायालय ने इस माल के नष्ट होने के समतुल्य मानते हुए संविदा को शून्य घोषित किया।

धारा-7 के अन्तर्गत संविदा शून्य नहीं होगी यदि विक्रेता को संविदा करते समय ज्ञात हो कि माल नष्ट हो गया है। लेकिन यदि क्रेता, विक्रेता दोनों को संविदा करते समय ज्ञात हो कि माल नष्ट हो चुका हो तो संविदा धारा-56 के अन्तर्गत शून्य होगी।

2. विक्रय के पूर्व लेकिन विक्रय करार के पश्चात माल के नष्ट होने का प्रभाव (Effect of Goods Perishing before sale but after Agreement to sell) -

According to Sec-8- "जबकि करार विशिष्ट माल के विक्रय का है, और तत्पश्चात उसके पूर्व कि जोखिम क्रेता को संक्रांत (Pass) हो, वह माल क्रेता या विक्रेता की तरफ से बिना किसी कसूर (Fault) के नष्ट हो जाता है या इतना नुकसान ग्रस्त हो जाता है कि वह करार में किये गये वर्णन के अनुरूप नहीं रह जाता है, वहाँ करार शून्य हो जाता है।"

धारा-8 के अनुसार - करार शून्य होने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व होने चाहिए -

(a) विक्रय के लिए करार,
(b) विशिष्ट माल (Specific Goods),
(c) माल का इस प्रकार से नष्ट या नुकसानग्रस्त होना कि वह संविदा में अपने वर्णन के अनुरूप न रहे,

(d). विक्रेता या क्रेता के बिना कसूर के

(e) क्रेता के जोखिम संज्ञान होने के पूर्व

Case- Alpik v. Barness, 1850 -

इस वाद में एक घोड़ा बेचने का करार हुआ। क्रेता ने 8 दिन तक घोड़े को परीक्षण हेतु लिया और तत्पश्चात् विक्रय होना था। परीक्षण की अवधि अर्थात 8 दिन पूरे होने से पहले क्रेता के कसूर के बिना घोड़ा मर गया। न्यायालय ने करार को शून्य ठहराया। विक्रेता क्रेता से मूल्य वसूल नहीं कर सकता है।